उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-25/2021/1472/77-6-6099/291/2021
लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2021

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय **"उ.प्र. ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 2021"** प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

16.05.21
(विकास गोठलवाल)
सचिव।

संख्या-25/2021/1472(1)/77-6-6099/291/2021,**तद्दिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनवेस्ट यू0 पी0।
6. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
9. इनवेस्ट यू0 पी0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति इनवेस्ट यूपी0 की वेब-साइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 2021

1. पृष्ठभूमि

वर्तमान में सम्पूर्ण देश कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित है, विशेष रूप से वायरस के नए 2021 स्ट्रेन के कारण जनमानस स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर समस्याओं से ग्रस्त है तथा इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाओं पर भी अत्यधिक दबाव पडा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्य की शीर्ष प्राथमिकता है।

प्रदेश में कोविड संक्रमण से निपटने हेतु विभिन्न मेडिकल कालेजों/चिकित्सालयों, रिफिलर्स तथा होम आइसोलेशन में उपचार प्राप्त कर रहे मरीजो हेतु राज्य स्तर पर आंकलित मांग के अनुसार लगभग 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की न्यूनतम आवश्यकता है। जिसके सापेक्ष प्रदेश में तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन (Liquid Medical Oxygen) की उत्पादन क्षमता 250.308 मीट्रिक टन है तथा के माध्यम से Air Separation Unit के माध्यम से उत्पादन क्षमता 88.84 मीट्रिक टन है। इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता 339.148 मीट्रिक टन है। मांग एवं उपलब्धता में अन्तर की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से आवंटित 894 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के सापेक्ष विभिन्न राज्यों में स्थित उत्पादन केन्द्रों से उठान सुनिश्चित कर की जा रही है। मांग तथा आपूर्ति के अन्तर की प्रतिपूर्ति के स्थायी समाधान के रूप में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों तथा मेडिकल कालेजों में नये ऑक्सीजन संयत्रों की स्थापना, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर के सीधे क्रय तथा सिलेन्डरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए किया जा रहा है।

ईजी-।। की संस्तुति के आधार पर डी.ओ. सं. 17/एस (एचएफडब्ल्यू) / एमओ / 2021, दिनांक 18 अप्रैल 2021 के द्वारा भारत सरकार ने दिनांक 22.04.2021 से निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विभिन्न अन्य प्रयासों के साथ चिकित्सा प्रयोजनों के लिए औद्योगिक ऑक्सीजन के उपयोग से ऑक्सीजन की आपूर्ति पर दबाव कम हुआ है। यद्यपि मांग में वृद्धि की पूर्ति हेतु ऑक्सीजन उत्पादन के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

अतः ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों का लाभ उठाने तथा उत्तर प्रदेश को चिकित्सा एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से यह नीति प्रस्तावित की गई है।

2. उद्देश्य

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

2.1 उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु और कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकट के निदान के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता।

2.2 रोजगार के अवसर पैदा करते हुए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करना।

2.3 ऑक्सीजन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को एक आत्म-निर्भर राज्य के रूप में स्थापित करना।

3. परिभाषाएं

3.1 'स्वीकार्यता तिथि' का अभिप्राय उस तिथि से है, जिससे इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त किए जा सकेंगे। यह 'उद्यम' द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे उद्यम जो प्रभावी तिथि के उत्पादन करेंगे, केवल वे ही लाभ के लिए पात्र होंगे।

3.2 'पात्र उद्यम' का अभिप्राय एक ऐसे नए, विस्तारीकरण अथवा विवधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित औद्योगिक उपक्रम से है, जो ऑक्सीजन उत्पादन / तरलीकृत ऑक्सीजन उत्पादन या ज़ियोलाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसट्रेटर एवं सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकरों और आईएसओ टैंकरों सहित ऑक्सीजन भंडारण एवं परिवहन उपकरणों का निर्माण करता हो/ करने का इच्छुक हो तथा जिसमें रु. 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश किया गया हो। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहनों से वंचित नहीं किया जाएगा।

3.3 'प्रभावी तिथि' का अभिप्राय इस नीति को अधिसूचित किए जाने की तिथि से है।

3.4 'प्रभावी अवधि' का अभिप्राय इस नीति को अधिसूचित किए जाने की तिथि

से 30 माह की अवधि से है।

3.5 'विस्तारीकरण/विविधीकरण' का अभिप्राय एक विद्यमान औद्योगिक उपक्रम द्वारा नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत् वृद्धि करने से है।

3.6 'पूंजी निवेश' का अभिप्राय भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी, सुविधाओं, टूल्स एवं उपकरणों तथा ऐसी अन्य परिसंपत्तियों में किये गये निवेश से है, जो अनुमन्य निवेश अवधि के भीतर अंतिम उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक है, जिसमें निम्न मूल्य सम्मिलित हैं -

अ	भूमि	भूमि के पंजीकृत विलेखों के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य परियोजना के लिए भूमि की लागत, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) या एक प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत माना जाएगा। कुल 'पूंजी निवेश' का अधिकतम 10 प्रतिशत् पूंजी निवेश के 'भूमि' घटक के रूप में लिया जाएगा।
ब	बिल्डिंग	भवन का अभिप्राय परियोजना के लिए निर्मित एक नवीन भवन से है, जिसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित है। संयंत्र व मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान और विकास गतिविधियों, इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों की स्थापना के लिए निर्मित नवीन भवनों की लागत को वास्तविक व्यय के अनुसार माना जाएगा। कुल 'पूंजी निवेश' का अधिकतम 10 प्रतिशत् पूंजी निवेश के 'भवन' घटक के रूप में लिया जाएगा।
स	अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की चाहरदीवारी (कंपाउंड वॉल) व गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़क, बोरवेल, पानी की टंकी, पानी एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संबंधित निर्माण से है।
द	संयंत्र एंड	संयंत्र व मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी / आयातित संयंत्र और

	मशीनरी	मशीनरी, सुविधाओं, जिनमें परिवहन, नींव, निर्माण, स्थापना तथा विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित हो, से है। विद्युतीकरण लागत में उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स व उपकरण, जो उत्पादन के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा। संयंत्र और मशीनरी में निम्न घटक सम्मिलित होंगे- 1. गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र। 2. केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा सामग्री हैंडलिंग उपकरण, विशेष रूप से ऐसे उपकरण जिनका परिसर के भीतर माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। 3. कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र। 4. प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए संयंत्र। 5. ऑक्सीजन भण्डारण एवं परिवहन के लिए सिलेंडर तथा भंडारण टैंक। 6. क्रायोजनिक ऑक्सीजन टैंकर।
च	अवस्थापना सुविधाएं	ऐसी नई सड़कें, सीवर लाइनें, जल निकासी प्रणाली, विद्युत लाइनें, अवस्थापना (इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं सहित), जो उद्यम के परिसर को मुख्य अवस्थापना सुविधाओं से जोड़ते हैं।

3.7 'पात्र पूंजी निवेश' का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी उद्यम द्वारा नीति की प्रभावी अवधि के दौरान निवेश किया गया हो। यदि उद्यम द्वारा पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ हो गया है, तो न्यूनतम 80 प्रतिशत् पूंजी निवेश नीति की प्रभावी अवधि के दौरान किया जाना चाहिए तथा उसी पूंजी निवेश (प्रभावी अवधि में किया गया) को पात्र पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा । इसी प्रकार, यदि प्रभावी तिथि से पूर्व भूमि में निवेश किया जाता है, तो इकाई नीति के अंतर्गत पात्र होगी, यद्यपि भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा।

3.8 'नोडल संस्था' का अभिप्राय अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा संस्था - **इन्वेस्ट यूपी** से है।

4 वित्तीय प्रोत्साहन

एक पात्र उद्यम निम्न प्रोत्साहनों हेतु अर्ह होगा-

4.1 **पूंजीगत उपादान-** पात्र इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन (स्वीकार्यता तिथि) के पश्चात निम्नलिखित दरों पर पूंजीगत उपादान तीन समान वार्षिक किस्तों में प्रदान की जाएगी।

बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल	मध्यांचल	पश्चिमांचल
25%	20%	15%

4.2 **स्टाम्प इयूटी की प्रतिपूर्ति**- बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में 100 प्रतिशत्, मध्यांचल में 75 प्रतिशत् तथा पश्चिमांचल में 50 प्रतिशत् की दर से स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

5. नीति का कार्यान्वयन

5.1 नोडल संस्था द्वारा नीति के कार्यान्वयन का प्रबंधन किया जाएगा। प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदन नोडल संस्था के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.2 इस नीति के अंतर्गत परिभाषित प्रभावी तिथि से केवल 6 माह की अवधि के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

5.3 प्राप्त आवेदनों का नोडल संस्था द्वारा आवश्यक मूल्यांकन किया जाएगा। तदोपरान्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से स्पष्ट संस्तुतियों सहित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

5.4 इस प्रयोजन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा-

(1) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

(2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

(3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग

(4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग

(5) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
(6) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, न्याय विभाग
(7) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग
(8) सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग- सदस्य सचिव / संयोजक

उक्त समिति की बैठकों में आवेदकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा, यद्यपि अनुमोदन की प्रक्रिया आवेदक की अनुपस्थिति के कारण बाधित नहीं होगी।

5.5 उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के उपरान्त 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी करने तथा प्रोत्साहन लाभ के वितरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा -

5.5.1 रु. 100 करोड़ तक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग के समक्ष; तथा

5.5.2 रु. 100 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.6 नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ क्रमवेशन (Dovetailing) की अनुमति होगी। यद्यपि समस्त योजनाओं से कुल प्रोत्साहन लाभ, पात्र पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे (उ.प्र. शासन की वित्तीय सहायता उस सीमा तक कम हो जाएगी)। निवेशकों को केंद्र सरकार की नीतियों के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहन के प्रकार एवं परिमाण की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। तथापि इस प्रकार का क्रमवेशन (Dovetailing) की अनुमति राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ नहीं होगी।

5.7 आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने एवं लाभ दिए जाने के संबंध में प्रक्रिया आदि का निर्धारण औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। नीति के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। नीति की व्याख्या पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने की दशा में उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर माननीय मंत्री, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अनुमोदन के उपरान्त ऐसा स्पष्टीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नीति की

संरचना में किसी भी संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता होने पर उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ऐसा संशोधन/परिवर्तन किया जाएगा।

16.05.21

(विकास गोठलवाल)

सचिव।